

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- कप्तानगंजचोरी गये मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीरणजीत यादव पुत्र बृजराज यादव ग्राम- टहर किशुनदेवपुर पोस्ट- टहर वाजिदपुर थाना-कप्तानगंज जनपद- आजमगढ़ दिनांक 29/06/2021 को अपने घर के बरामदे में मोटर साइकिल खडी किये थे। 30/06/2021 को सुबह होने पर देखे कि गाडी बरामदे में नहीं थी। जिसका नं UP50 Z3012 है। और अगल बगल इधर उधर पता लगाये परन्तु कुछ पता नहीं लगा जिसके सम्बन्ध में आनलाईन मु०अ०सं० 99/2021 धारा 380 IPC में बनाम अज्ञात थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत कराया गया है जिसकी विवेचना प्रचलित है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के दिशा निर्देशन व कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु अभियान के तहत आज दिनांक 09.07.2021 को मुखबीरी सूचना पर व०उ०नि० कृष्णानन्द प्रसाद थाना कप्तानगंज आजमगढ़ द्वारा मय हमराहियान के मुखबिरी सूचना के आधार पर दबिश देकर मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी मोटर साइकिल संख्या UP50Z3012 के साथ अज्ञात अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार पुत्र रामसुमेर उम्र करीब 22 वर्ष ग्राम लेदौरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ सम्बन्धित मु०अ०सं० 99/2021 धारा 380 IPC थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को दुबावे चौराहा थाना क्षेत्र कप्तानगंज से समय करीब 10.55 बजे गिरफ्तार किया गया, माल/मुल्जिम की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 99/2021 धारा 380 IPC बढोत्तरी धारा 411 IPC

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. वीरेन्द्र कुमार पुत्र रामसुमेर उम्र करीब 22 वर्ष ग्राम लेदौरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

एक अदद मोटर साइकिल वाहन संख्या UP50Z3012 -HERO PASSION PRO

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम -

1. व०उ०नि० कृष्णानन्द प्रसाद थाना कप्तानगंज, आजमगढ़।
2. का० विशाल जायसवाल
3. का० दिनेश यादव

थाना- महाराजगंजएक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.07.21 को प्र०नि० गजानन्द चौबे मय हमराह उ०नि० राजेश प्रसाद, हे०का० रमेश कुमार, हे०का० सन्तोष यादव, का० सुभाषचन्द्र यादव, का० भानूप्रताप यादव, म०का० मधुबाला यादव, म०का० प्रतिमा पाण्डेय व हे०का० सुमेर सिंह यादव के द्वारा मु०अ०सं० 110/2020 धारा 364, 511, 506 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त मोहम्मद आफताब पुत्र सुफियान खान साकिन सिकन्दरपुर आइमा थाना महाराजगंज आजमगढ़ को मुखबीरी की सूचना के आधार दिनांक 08.07.21 करीब 22.30 बजे परशुरामपुर तिराहा से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 110/2020 धारा 364, 511, 506 IPC थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०-110/2020 धारा 364, 511, 506 IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़
2. मु०अ०सं०- 54/20 धारा 323, 504, 427, 506, 427, 269, 271, 511, 188, 353 IPC व 51, 53 डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट थाना महाराजगंज आजमगढ़

## गिरफ्तार अभियुक्त

मोहम्मद आफताब पुत्र सुफियान खाँन साकिन सिकन्दरपुर आइमा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- SHO गजानन्द चौबे मय हमराह उ0नि0 राजेश प्रसाद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

2- हे0का0 रमेश कुमार, हे0का0 सन्तोष यादव, का0 सुभाषचन्द्र यादव, का0 भानूप्रताप यादव, थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

3- म0का0 मधुबाला यादव, म0का0 प्रतिमा पाण्डेय थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति

### थाना- गम्भीरपुर

#### एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्र की बरामदगी के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर व प्र0नि0 गम्भीरपुर के निर्देशन में उ0नि0 शंकर कुमार यादव मय हमराहीयान द्वारा मुखबीर की सूचना पर अवैध शस्त्र एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर के साथ एक नफर अभियुक्त राजीव सिंह उर्फ सोनू पुत्र गोरखनाथ सिंह सा0 अमिलिया थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ को दिनांक 08.07.2021को समय 23.20 बजे श्रीरामपुर से अमिलिया जाने वाले सडक से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 134/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

### गिरफ्तार अभियुक्त

राजीव सिंह उर्फ सोनू पुत्र गोरखनाथ सिंह सा0 अमिलिया थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

### बरामदगी-

एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0 नि0 शंकर कुमार यादव व का0 रघुवीर यादव व का0 सुनील कुमार व का0 अनिल मोर्य व का0 शैलेन्द्र यादव